नई शिक्षा नीति 2020 और उसके आयाम

डॉ. अनीता देशपांडे प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
शोधार्थी– चन्द्रप्रभा जाटव

भूमिका :–

शिक्षा मनुष्य की संपूर्ण क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और एक न्याय संगत, न्यायपूर्ण समाज के और राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा सार्वभौमिक और वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए तथा भारत के सतत् प्रगति और विकास के लिए आवश्यक कुंजी है ।

मानव इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का विभिन्न रूपों में विकास और प्रसार होता रहा है। शिक्षा के द्वारा की मनुष्य की तार्किक बुद्वि का विकास होता है और मनुष्य में सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ पैदा होती है। प्रत्येक देश अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्त और उन्नति प्रदान करने के लिए तथा समय की चुनौतियो का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता रहा है,परंतु समय के साथ समाज और विज्ञान में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणालियों में बदलाव की आवश्यकता महसूस होती रही है, भारत जैसे विभिन्नताओं से भरे देश में शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है। भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा, मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिये नहीं बल्कि धर्म के लिये थी। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परम्परा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, आदि शिक्षा के केंद्र थे। इसी प्रकार दक्षिण भारत के एन्नारियम, तिरूमुक्कुदल, मलकपुरम् तिरूवोरियूर में प्रसिद्व विद्यालय थे। प्राचीन शिक्षा प्रायः वैयक्तिक ही थी। कथा, अभिनय इत्यादि शिक्षा के साधन थे। प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था। वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से उत्कृष्ट थी लेकिन कालान्तर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ह्रास हुआ। विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया , जिस अनुपात में होना चाहिये था। अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत में शिक्षा की स्थिति :–

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के 60 वर्षो तक देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रूचि नहीं थी। वह एक विशुद्व व्यापारिक कंपनी थी। उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था। इन वर्षो में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं

विकास हेतु जो भी प्रयास किये गये, वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किये गये थे। इन प्रयासों के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार है

1. 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य, मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था।
2. 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेन्ट, जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस मे संस्कृत कालेज की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य हिन्दू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था।

कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कालेज में शिक्षा पद्वति का ढ़ांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराये जा सके, जो अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हों तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसे मदद कर सके। न्याय विभाग में अरबी, फारसी, और संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोग न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें तथा मुस्लिम एवं हिन्दू कानूनों की व्याख्या कर सकें। भारतीय रियासतों के साथ पत्र – व्यवहार के लिये भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी। इसी समय प्रबुद्व भारतीयों एवं मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये दबाव डालना प्रारंभ कर दिया।

इस समय तक भारत के प्रबुद्ध लोग शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता की तो बात करते थे परन्तु हिन्दू समाज में शिक्षा से वंचित रखे गए निम्न जाति, पिछड़ो और महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकारों के लिए खड़े होने से डरते थे। यही कारण था कि हिन्दू समाज का एक बड़ा तबका शिक्षा से लंबे समय तक वंचित रहा और संपूर्ण हिन्दू समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया।

भारत के सामाजिक ढांचे को देखा जाए तो उस समय शिक्षा का विस्तार समाज में संभ्रांत कहे जाने वाले कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित था। यहां शिक्षा समाज के हर तबके के लिए प्राप्त करना आसान नहीं था। समाज में जाति, लिंग और वर्णो को लेकर बहुत असमानता व्याप्त थी। जिसके कारण समाज के दलित, पिछड़ी जाति के लोगों और महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करना आसान न था।

<u>स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा की स्थिति</u> :–

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सन् 1948 में भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। सन् 1952 में लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसा के आधार 1968 में पहली बार शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया

गया जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्व चरित्रवान तथा कार्य कुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। यह शिक्षा नीति आजादी के बाद के इतिहास मे एक अहम कदम थी। शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने और उनके क्रियान्वयन में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसी के अंतर्गत मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 मे आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया संशोधित नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान किया गया था जिसके अंतर्गत शिक्षा में एकरूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी प्राथमिकता, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने, देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालय की स्थापना करने, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारी देने , अंतर अनुशासनिक अनुसंधान करने, राज्यों में नए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को सुदृढ़ करने तथा खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योग को बढ़ावा देने एवं सक्षम मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के प्रयास शामिल है इसके अलावा शिक्षा मे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक विकेंद्रीकृत प्रबंधन ढ़ांचे का भी सुझाव दिया गया।

<u>नई शिक्षा नीति 2020</u> :–

नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गयी। सन् 1986 में जारी शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति के क्रम में यह तीसरी शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था जिसके लिए संपूर्ण भारत के पंचायत स्तर के लोगों के सुझाव मांगे गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1988 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है।

केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए जो पुरानी शिक्षा नीति से संभव नहीं था। इसलिए इस पॉलिसी को लाना बहुत जरूरी था। इसके लिए एनरोलमेंट को सौ फीसदी तक लाने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है इसके अलावा स्कूली शिक्षा से निकलने के बाद हर बच्चे के पास लाइफ स्किल भी होगी जिससे वह जिस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहे तो वह आसानी से कर सकता है।

<u>स्कूली शिक्षा</u> :– नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजूकेशन मे कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति से स्कूल शिक्षा 2035 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेंशो (GER) पहुंचने का लक्ष्य रखा है जो वर्तमान में छठवी से आठवी का GER 90.9% है जबकि कक्षा 9 और 10 का GER 79.3% है और कक्षा 11 और 12 के लिए 56.5% है।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति में ई–पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे अर्थात् अब बच्चों पर शिक्षा के लिए किसी भाषा को थोपा नहीं जाएगा, वह अपनी रूचि के अनुसार इंग्लिश, हिंदी और अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते है और परीक्षा भी दे सकते है। नई शिक्षा नीति में बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए आभासी प्रयोगशाला विकसित किए जा रहे है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टैकनोलॉजी फोरम (NETE) बनाया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति 2020 में पुराने स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 के स्थान पर पढ़ाई की रूपरेखा या पाठ्यक्रम 5+3+3+4 के आधार पर तैयार किया जाएगा। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे 10+2 वाले पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है क्योकि 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता हैं परंतु नए 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम में 3 वर्ष के बच्चे को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है इस प्रकार स्कूली शिक्षा भी चार भागों में विभाजित की गई है

इन चारों चरणो को विस्तार से निम्न प्रकार देखा जा सकता है।

1. फाउंडेशन स्टेज– इस चरण में पहले 3 साल बच्चे आंगनबाडी में प्री–स्कूलिंग शिक्षा लेगे फिर अगले 2 साल कक्षा एक एवं दो में बच्चे स्कूल में पड़ेगे। इन 5 सालों के पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा इसमे 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होगे इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा।
2. प्रिप्रेटरी स्टेज – इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगो के जरिए बच्चों को विज्ञान गणित क़ला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा।
3. मिडिल स्टेज – इस चरण में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स जैसे कोडिंग मैनेजमेंट रिसर्च डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएंगे इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पाठ्येत्तर कार्यकलाप को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
4. सेकेंड़री स्टेज – इस चरण में कक्षा 9 से 12 वीं की पढ़ाई दो चरणों में होगी जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा और विषयों को चुनने की आजादी भी होगी।

इन चारो चरणों को निम्नलिखित सारणी और ग्राफ द्वारा समझा जा सकता है

स्टेज		समय	उम्र	कक्षा
फांउडेशन स्टेज	आंगनबाडी/प्री–स्कूल	3 वर्ष	3 से 6 वर्ष	प्री–स्कूल/नर्सरी
	प्रारंभिक स्कूल	2 वर्ष	6 से 8 वर्ष	1 और 2
प्रिपरेटरी स्टेज	प्रारंभिक	3 वर्ष	8 से 11 वर्ष	3, 4 और 5
मिडिल स्कूल स्टेज	माध्यमिक	3 वर्ष	11 से 14 वर्ष	6, 7 और 8
सेकेंड़री स्टेज	सेकेंडर	4 वर्ष	14 से 18 वर्ष	9, 10, 11 और 12

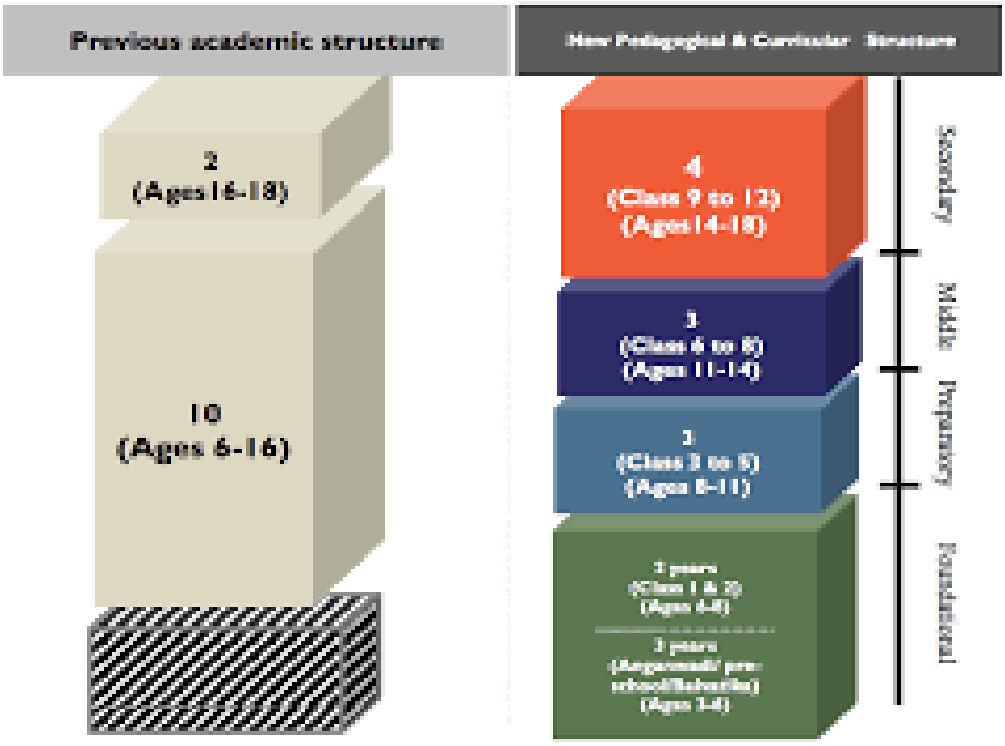

इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजुकेशन में निम्नलिखित बातों पर बहुत जोर दिया गया है जो आने वाले समय मे बहुत ही लाभदायक होगी।

1. नई शिक्षा नीति में पांचवी क्लास तक मातृभाष, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी, इसे क्लास 6 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है अन्य विदेशी भाषाओं के पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से शुरू होगी।
2. अभी भी दो करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए स्कूल के बुनियादी ढ़ांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
3. सभी छात्र केवल तीसरी, पांचवी और आठवी कक्षा में परीक्षा देंगे 10वी और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हे नया स्वरूप दिया जाएगा एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख (समग्र विकास के लिए कार्य–प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
4. पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जायगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से लिखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहल आवश्यकता मानते हुए नई शिक्षा नीति 2020

में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है।

5. एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा।
6. सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूह की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा।
7. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशन मानक (NPST) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा इसके लिए एनसीईआरटी शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा।
8. जी.डी.पी. का 6% शिक्षा पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है जो अभी 4.43 प्रतिशत है।
9. प्रत्येक विद्यालय में 30:1 से कम का छात्र – शिक्षक अनुपात (PTR) सुनिशिचत किया जाएगा।
10. नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होगा।
11. छठवीं क्लास से व्यवसायिक कोर्स शुरू किए जाएंगे इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा।

उच्च शिक्षा :– नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसदी सकल नामांकन अनुपात (GER) पहुॅचने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 26.3% है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हे उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

सार्टिफिकेट के लिए 1 साल

डिप्लोमा के लिए 2 वर्ष

स्नातक के लिए 3 वर्ष

अनुसंधान के साथ स्नातक की डिग्री के लिए 4 साल ।

पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह आजादी भी होगी कि अगर वह कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स मे दाखिला लेना चाहे तो वह पहले कोर्स से एक खास निशिचत समय तक ब्रेक ले सकते है

और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते है। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए है जो छात्र रिसर्च करना चाहते है उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा जो लोग नौकरी में जाना चाहते है वह 3 साल की डिग्री प्रोग्राम करेगे लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते है वह 1 साल के M.A. के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम में बाद सीधे पीएचडी कर सकते है।

विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंको या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit)दिया जाएगा जिससे अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हे डिग्री प्रदान की जा सके।

नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल(M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है

इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा क्षेत्र में निम्नलिखित बातों पर बहुत जोर दिया गया है जो आने वाले समय मे बहुत ही लाभदायक होगी।

1. चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India HECI) का गठन किया जाएगा।
2. HECI के कार्यो के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानो/निकायों का निर्धारण किया गया है–
   a) विनियमन हेतु – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (Nation Higher Education Regulatory Council - NHERC)
   b) मानक निर्धारण – सामान्य शिाक्षा परिषद् (General Education Council – GEC)
   c) वित्त पोषण – उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council- HEGC)
   d) प्रत्यायन – राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council - NAC)
3. महाविद्यालयों की संबद्वता 15 वर्षो मे समाप्त हो जाएगी और उन्हे क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये एक चरणबद्व प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
4. देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानको के बहुविषक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (Multidisciplinary Education and Research Universities) की स्थापना की जायेगी।
5. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा (CEE) आयोजित करेगी।
6. विज्ञान , मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में एक सामान्य योग्यता परीक्षा साथ ही विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा हर साल कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।
7. 15 वर्षो में महाविद्यालयों की संबद्वता से बाहर चरणबद्व और महाविद्यालयों को ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक मंच – वार तंत्र स्थापित किया जाना है।

8. उच्च बहु–विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से मिलकर उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ाना ।
9. एकल धाराओं की पेशकश करने वाले सभी संस्थानो से बाहर चरणबद्व तरीके से और सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2040 तक बहु–विषयक बनने का लक्ष्य रखना चाहिए।
10. हर जिले में या उसके पास कम से कम एक विश्वविद्यालय ।
11. उन्नत छात्र अनुभवों के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और समर्थन को फिर से जारी करना।
12. शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता नियुक्तियों और कैरियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना।
13. दिव्यांग के अनुकूल शैक्षिक सॉफ्टवेयर, विभिनन भाषाओं में ई–सामग्री और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्चुअल लैब ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा।
14. राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (NETF)
15. शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग
    1. शिक्षण और मूल्यांकन
    2. शिक्षा की योजना
    3. डिजिटल इंडिया अभियान
    4. प्रवेश और प्रबंधन
    5. सर्वाजनिक खुलासे के माध्यम से विनियमन

सारांश :–

देश में 34 साल बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल और कॉलेज शिक्षा का पूरा स्वरूप बदलने वाली है। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रवेश के लिए 2022 में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसे नेशनल टेस्टिंग ऐजेंसी (NTA) साल में दो बार करेगी। यह यूएस में होने वाले SAT ही की तर्ज पर होगा। स्कूल और उच्च शिक्षा के मूलभूत ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव आने के साथ–साथ कई पहलुओं पर विशेषज्ञों का कहना है कि पॉलिसी में शामिल बदलाव अगर सही तरीके से लागू होते हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर जरूर ऊंचा होगा, बशर्ते सस्ती शिक्षा को ध्यान में रखा जाए। नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर कई शिक्षाविदों का कहना है कि पॉलिसी उच्च शिक्षा की ऑटोनॉमी के लिए जिस तरह का प्रस्ताव रखती है, उससे शिक्षा का निजीकरण होगा जिसके कारण उच्च शिक्षा महंगी होगी, जिसका असर समाज के आर्थिक रूप में कमजोर लोगों पर अधिक होगा, परंतु कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि ऑटोनॉमी का अंतिम स्वरूप जब विस्तार से सामने आएगा तब ही इस तरह की आशंकाओं पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। शिक्षाविद और वैज्ञानिक डॉ. सोपोरी कहते हैं कि नई पॉलिसी में इसका ख्याल रखना जरूरी है कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के

लिए शिक्षा महंगी ना हो। जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक हर विद्यार्थी की पहुॅच नहीं होगी इस शिक्षा नीति का कोइ फायदा नहीं होगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विदेशी विश्वविद्यालयों को भी भारत आने का न्योता देती है यह तभी लाभदायक होगा जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विश्वविद्यालय भारत पहुॅचेंगे और उनका शुल्क आम आदमी की पहुॅच में होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यपालनक काउंसिल के सदस्य डॉ0 राजेश झा का कहना है कि पॉलिसी में एजुकेशन सिस्टम को ग्रांट पर चलने के बजाय लोन पर चलने के लिए प्रमोट किया है, मगर जब ग्रांट नहीं मिलेगी तो कॉलेजों के पास फंड इकट्ठा करने का जरिया फीस ही हेागा, और इस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करना बहुत मुश्किल होगा। इसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के फैकल्टी प्रोफेसर डॉ0 पंकज गर्ग कहते हैं :–

यह पॉलिसी इंस्टिटयूट को टीचिंग लर्निंग की आउटसोर्सिंग बढ़ाएगी और इस प्रकार शिक्षा सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाकर शिक्षा महंगी ही होगी।

शिक्षाविदों के इस प्रकार की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यापक स्वरूप में छात्रों और भारतीय शिक्षा कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होगा परन्तु कुछ मामलों में विशेषज्ञों की राय नकारात्मक है, जो शिक्षा व्यवस्था के लिए चिन्ताजनक है, जिसका असली स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के बाद ही पता चलेगा।

यह नीति शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई के अंतर को दूर करेगी नीति का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा को वर्तमान 3.2% से बढ़ाकर 6% करना है, लेकिन संसाधन की कमी, न्यून कर, जीडीपी अनुपात, अर्थव्यवस्था में विकास की आवश्कताओं की प्रतिस्पर्धा आदि के कारण इस राशि का जुटाना मुश्किल हो सकता हैं नीति की सफलता सरकार की अन्य नीतिगत पहल जैसे कि औद्योगिक नीति, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के साथ इसके एकीकरण से भी होगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित ही सशक्तिकरण, आत्मज्ञान, स्वायत्तता, व्यवसाय क्षमता और रोजगार पर जोर देने के साथ विद्यार्थी को सशक्त बनाएगी। यह भारत के वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की उम्मीदों को प्राप्त करने में मदद करेगी एवं वास्तविक रूप में पूरे देश की नीति होगी।

सन्दर्भ :–

https://www.mhrd.gov.in/

http://www.vivacepanorama.com/development-of-education-in-india/

https://hi.wikipedia.org/wiki/भारतीय_शिक्षा_का_इततहास

https://educationmirror.org/

https://www.rajras.in/index.php/national-education-policy-2020-summarised/

https://www.jansatta.com/education

https://medium.com/

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/national-education-policy-2020

https://navbharattimes.indiatimes.com/

पत्रिका 24 सितंबर 2020 श्री कलराज मिश्र राजयपाल (राजस्थान)